राजकीय महाविद्यालय हरिपुर (गुलेर), जिला काँगड़ा के निधि लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 04/2012 से 03/2016

<u>भाग-एक</u>

1 (क) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन:-

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु की गई कार्यवाही के सत्यापनोपरांत नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से पाई गई। अतः शेष अनिर्णीत पैरों के पूर्ण निपटारे हेतु अविलम्ब कार्यवाही करके इस विभाग को सूचित किया जाए।

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2012

1 पैरा 3(क,ख) निर्णीत (नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गयी है।)

2 पैरा 3 (ग) निर्णीत (सावधि जमा योजना में निवेश किया गया।)

3 पैरा 4 अनिर्णीत

4 पैरा 5 अनिर्णीत

5 पैरा 6(i) निर्णीत वास्तव में निम्नानुसार राशि प्राप्त की गयी थी जिसे चालान द्वारा जमा करवा दिया गया है।

अवधि	प्राप्त राशि	जमा करवाई गयी	अंतर	टिप्पणी
21-7-2010 से 17-8-2010	14095	13820	275	
18-8-2010 से 17-9-2010	3155	3455		
2-12-2010 से 17-6-2011	27835	27835		
22-11-2011 से 24-11-2011	2190	1800	390	चालान संख्या 8 दिनांक 18-8-2012 के द्वारा जमा किये गये

6 पैरा 6(II) निर्णीत वास्तव में महाविद्यालय द्वारा RTI शुल्क ₹50 प्राप्त की गयी थी जिसे चालान द्वारा जमा करवा दिया गया था परन्तु चालान के पीछे दिए गये विवरण में गलती से इस राशि को ₹550 लिखा गया जिसकी पुष्टि कर ली गयी।

7 पैरा 7 निर्णीत दिनांक 17-5-2008 को बचत खाता संख्या 06860001009644 से राशि आहरित करके बचत खाता

			संख्या 0686000105129774 (MISC.FUNDS) में जमा करवाई गयी तथा दिनांक 2-9-2008 को यह राशि बचत खाते से आहरित करके दिनांक 5-9-2008 को चालान संख्या 43 तथा 44 द्वारा जमा करवाई गयी जिसकी पुष्टि कर ली गयी है।
8	पैरा 8	निर्णीत	प्रवेश पुस्तिकाओं की बिक्री से प्राप्त आय की पुष्टि करने के उपरान्त।
9	पैरा 9	अनिर्णीत	
10	पैरा 10	अनिर्णीत	
11	पैरा 11	निर्णीत	सटिप्पण उत्तर के अनुसार
12	पैरा 12	अनिर्णीत	
13	पैरा 13(i)(ii)	अनिर्णीत	
14	पैरा 14(i)(ii)	अनिर्णीत	
15	पैरा15(i)(ii)	अनिर्णीत	
16	पैरा 16	निर्णीत	अग्रिम समायोजन करने की पुष्टि कर ली गयी है
17	पैरा 17	अनिर्णीत	
18	पैरा 18	अनिर्णीत	
19	पैरा 19	अनिर्णीत	
20	पैरा 20	अनिर्णीत	
21	पैरा 21	अनिर्णीत	
22	पैरा 22	अनिर्णीत	
23	पैरा 23(i)(ii)	अनिर्णीत	
24	पैरा 24(i)(ii)	निर्णीत	भण्डार पुस्तिका के पृष्ठ 57 पर मदों की प्रविष्टी कर ली गयी है तथा भुगतान आदेश पारित कर दिए गये हैं।
25	पैरा 25	अनिर्णीत	
26	पैरा 26	निर्णीत	सटिप्पण उत्तर के अनुसार
27	पैरा 27(i)(ii)(iii)	अनिर्णीत	
28	पैरा 28	अनिर्णीत	
29	पैरा 29(i)(ii)	निर्णीत	मिश्रित निधि में निम्नानुसार राशि जमा करवा दी गयी है **दिनांक** **राशि** 31-3-2014 10000 14-11-2014 10000 6-12-2013 2200
30	पैरा 30	निर्णीत	अग्रिम रजिस्टर तैयार कर दिया गया है।
31	पैरा 31	अनिर्णीत	
32	पैरा 32	निर्णीत	अनुपालना कर ली गयी है।

33	पैरा 33	निर्णीत	ऋण रजिस्टर तैयार कर लिया गया है।
34	पैरा 34	निर्णीत	रसीदों का स्टॉक रजिस्टर तैयार कर दिया गया है।
35	पैरा 35	अनिर्णीत	
36	पैरा 36	निर्णीत	स्थाई व् अस्थाई मदों का अलग अलग स्टॉक रजिस्टर तैयार कर दिया गया है।
37	पैरा 37	अनिर्णीत	

(ख) राजकीय महाविद्यालय हरिपुर (गुलेर) के अंकेक्षण 04/2012 से 03/2016 में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार:-

क्र० सं०	पैरा संख्या	आपति का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	पैरा 6	सावधि जमा पर कम ब्याज की प्राप्ति	0.05
2	पैरा 7	कम्प्यूटर प्रैक्टिकल निधि के रूप में कम वसूली करना	1.25
3	पैरा 8	छात्रों से अनाधिकृत/अधिक वसूली करना	2.63
4	पैरा 9	पुस्तकालय प्रतिभूति निधि से अनियमित क्रय	0.80
5	पैरा 10	महाविद्यालय में शारीरिक शिक्षा प्राध्यापक कार्यरत न होने के बाबजूद खेल सामग्री का क्रय करना	1.73
6	पैरा 11	अग्रिम राशि का समायोजन न करना	1.47
7	पैरा 12	निधियों से उधार दी गयी राशि की वापिस न लौटाना	0.19
8	पैरा 13	विश्वविद्यालय परीक्षा निधि से भुगतान किये गये अग्रिम के समायोजन करने के उपरान्त वसूली न करना	0.01

भाग-दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

राजकीय महाविद्यालय हरिपुर (गुलेर) के छात्र निधि लेखाओं अवधि 1.4.2012 से 31.3.2016 का वर्तमान अंकेक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये हैं, श्री जितेन्द्र सिंह अनुभाग अधिकारी व श्री जीवन कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 4-3-2017 से 20-3-2017 तक हरिपुर (गुलेर) मे किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2012-13	6/2012	3/2013
2013-14	6/2013	3/2014
2014-15	6/2014	12/2014
2015-16	6/2015	7/2015

इस

अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं वित्तीय स्थिति को प्रधानाचार्य द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रदान नहीं की गई है, से होने वाले किसी प्रभाव हेतु जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है। विभाग की जिम्मेवारी केवल विस्तृत जांच हेतु चयनित मासों तक सीमित है।

अंकेक्षण अवधि में निम्न विवरणानुसार प्रधानाचार्यों ने आहरण एवं वितरण अधिकारियों के रूप में कार्य किया:-

क्रम संख्या	प्रधानाचार्य का नाम	अवधि
1	डॉ. हरबंस लाल धीमान	1-4-2012 से 27-9-2012
2	श्री प्रकाश चन्द वर्मा	28-9-2012 से 25-3-2013
3	डॉ. हरबंस लाल धीमान	26-3-2013 से 19-4-2013
4	डॉ. अशोक कुमार अवस्थी	20-4-2013 से 14-6-2014
5	श्रीमति सविता शर्मा	27-6-2014 से 3-7-2015
6	डॉ. ज्योति कुमार	10-7-2015 से लगातार

3 अंकेक्षण शुल्क:-

संस्था के छात्र निधि लेखाओं अवधि 4/2012 से 3/2016 तक के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क का आकलन ₹32000 किया गया, जिसकी गणना का विस्तार पूर्वक विवरण निम्न प्रकार से है:-

वितीय वर्ष	निधि से आय	अंकेक्षण शुल्क
2012-13	5,59,475	8000
2013-14	6,99,089	8000
2014-15	11,55,739	8000
2015-16	11,30,441	8000
	कुल अंकेक्षण शुल्क	**32000**

उपरोक्त वर्णित अंकेक्षण शुल्क ₹32000/- को ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) को भेजने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 66/2017 दिनांक 15-3-2017 के द्वारा प्रधानाचार्य से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में महाविद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा पंजाब नैशनल बैंक हरिपुर (गुलेर) (काँगड़ा) के बैंक ड्राफ्ट संख्या 553756 दिनांक 16-3-2017, द्वारा उक्त राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) को प्रेषित कर दिया गया।

4 वितीय स्थिति:-

(क) राजकीय महाविद्यालय हरिपुर (गुलेर) के वर्तमान छात्र निधि लेखों अवधि 1-4-2012 से 31-3-2016 तक की वितीय स्थिति व दिनांक 31-3-2016 को विभिन्न निधियों की रोकड़ वहियों के अंतिम शेषों का विवरण बैंक खातों का विवरण, उनमें पाए गये अंतर तथा अंतर के कारणों सहित **परिशिष्ट (क)** पर उल्लेखित व सलंग्न है।

(ख) राजकीय महाविद्यालय हरिपुर (गुलेर) द्वारा विश्वविद्यालय परीक्षा निधि का दिनांक 1-4-2012 को आरम्भिक शेष ₹31964 के स्थान पर ₹32859 दर्शाया गया। दिनांक 31-3-2012 तक महाविद्यालय हरिपुर (गुलेर) द्वारा मास 4/2008 में झण्डा शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को भी विश्वविद्यालय परीक्षा निधि की रोकड़ वही तथा बैंक खाते में ही जमा करवाया गया परन्तु इस राशि को उक्त अवधि की आय में न लेकर इसे अंतर के रूप में दर्शाया गया था। वास्तव में दिनांक 31-3-2012 को रोकड़ वही तथा बैंक खाते का अंतिम शेष ₹32859 था। अत: सम्बन्धित विभाग को झण्डा शुल्क के रूप में प्राप्त राशि भेजनी सुनिश्चित की जाए।

(ग) राजकीय महाविद्यालय हरिपुर (गुलेर) द्वारा विश्वविद्यालय परीक्षा निधि तथा विश्वविद्यालय विकास निधि को पंजाब नेशनल बैंक के बचत खाता संख्या 0686000105129710 में जमा करवाया गया है जिनका रख रखाव अलग अलग किया जाए।

5 विश्वविद्यालय विकास निधि की रोकड़ वही का रख रखाव न करना

महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय विकास निधि की रोकड़ वही तथा बैंक खाते का अलग से रख रखाव नहीं किया गया है तथा वर्ष 2014-15 में छात्रों से प्राप्त विश्वविद्यालय विकास निधि को महाविद्यालय की PTA निधि की रोकड़ वही में निम्नानुसार दर्ज करते हुए PTA निधि के बैंक बचत खाते में जमा करवाया गया तथा इस राशि को PTA निधि से दिनांक 27-12-2015 को आहरित करने के उपरान्त विश्वविद्यालय परीक्षा निधि में दिनांक 27-12-2015 को ही जमा करवा दिया गया जिसकी पुष्टि विश्वविद्यालय परीक्षा निधि की रोकड़ वही के पृष्ठ सं. 249 पर कर ली गयी है। तदोपरांत महाविद्यालय हरिपुर (गुलेर) द्वारा विश्वविद्यालय परीक्षा निधि तथा विश्वविद्यालय विकास निधि को पंजाब नेशनल बैंक के बचत खाता संख्या 0686000105129710 में जमा करवाया गया है जिनका रख रखाव अलग अलग किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

दिनांक	पृष्ठ सं. फीस प्राप्ति रजिस्टर	छात्रों से प्राप्त बिश्वविद्यालय विकास शुल्क	जिस निधि में जमा करना	बचत खाता न. जिसमे जमा करवाया गया
26-12-2014 to 31-12-2014	180 to 189	1,06,750	PTA Fund	PNB Haripur Guler 0686000105129756
1-1-2015 to 20-1-2015	193 to 198	19,500	PTA Fund	-do-
	Total	**1,26,250**		

6 सावधि जमा पर ₹0.05 लाख के ब्याज की कम प्राप्ति

महाविद्यालय द्वारा निम्नानुसार निधियों की राशि को बैंक सावधि जमा योजनाओं में निवेशित किया गया था परन्तु उनकी परिपक्वता पर ``₹4603 ब्याज के रूप में कम प्राप्त हुई जिस बारे मामला बैंक से उठाकर ब्याज राशि प्राप्त करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

निधि का नाम	सावधि जमा	निवेश करने की तिथि	निवेशित राशि	परिपक्वता की तिथि	ब्याज दर	परिपक्वता राशि	वास्तव में प्राप्त राशि	अन्तर

	संख्या							
Sports fund	278245	19-12-2013	2,00,000	19-12-2014	9%	2,18,617	2,16,730	1887
	278245	19-12-2014	2,16,730	19-12-2015	9%	2,36,904	2,35,444	1460
	278245	19-12-2015	2,35,444	19-12-2016	7.5%	-	-	-
Magazine fund	278246	19-12-2013	75,000	19-12-2014	9%	81,981	81273	708
	278246	19-12-2014	81,273	19-12-2015	9%	88,838	88290	548
	278246	19-12-2015	88,290	19-12-2016	-	-	-	-
							Total	**4603**

7 कम्प्यूटर प्रैक्टिकल निधि के रूप में ₹1.25 लाख की कम वसूली करना:-

हि०प्र० सरकार, उच्च शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या EDN-A-KHA(8)1/2001 दिनांक 01.06.10 के क्रम स० 28 के अनुसार कम्प्यूटर प्रैक्टिकल निधि की वसूली वाणिज्य एवं गणित (Maths) की सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों से ₹15/- प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी वसूलना आपेक्षित थी। जबकि जांच में पाया कि अवधि 04/2012 से 03/2015 तक कम्प्यूटर प्रैक्टिकल निधि केवल वाणिज्य एवं गणित तृतीय वर्ष के विद्यार्थियो से ही वसूल की गई थी एवं अवधि 04/2015 से 03/2016 तक किसी भी कक्षा में अध्ययनरत इन विषयों के विद्यार्थियो से कम्प्यूटर प्रैक्टिकल निधि की वसूली नहीं की गई थी। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 58/2017 दिनांक 14-3-2017 द्वारा अध्ययनरत उक्त विषयों के विद्यार्थियों से वसूली न करने का मामला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय के ध्यान में लाया गया। प्रधानाचार्य महोदय ने अपने पत्र संख्या EDN(C)GC-HAR(G-38) दिनांक 18-3-2017 के द्वारा सूचित किया है "कॉमर्स तथा गणित विषय के छात्रों से कम्प्यूटर प्रैक्टिकल निधि वसूल की जानी है जो कि कॉमर्स छात्रों के तृतीय वर्ष की पांचवे समेस्टर का विषय है तथा गणित विषय के छात्रों के तृतीय वर्ष के छठे समेस्टर का विषय है इसके अतिरिक्त प्रथम तथा द्वितीय वर्ष में कंप्यूटर का कोई भी विषय नहीं है इसलिए उक्त निधि की वसूली केवल तृतीय वर्ष के विद्यार्थियो से ही की गई है। परन्तु प्रधानाचार्य महोदय द्वारा उप्पलब्ध करवाई गयी सूचना हि०प्र० सरकार, उच्च शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या EDN-A-KHA(8)1/2001 दिनांक 01.06.10 के क्रम स० 28 के अनुसार उचित नहीं है। अत: इस बारे सक्षम अधिकारी से आवश्यक मार्गदर्शन लिया जाए अन्यथा ₹125370 की वसूली निम्नानुसार उचित स्त्रोत से करके निधि में जमा करके कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

सत्र	कक्षा	छात्र	दर	राशि
2012-13	BA I BA I	3	180	540
	BCOM I	56	180	10080
	BCOM II	74	180	13320
2013-14	BA II	5	180	900
	BCOM (1ST SEM)	103	90	9270
	BCOM (2nd SEM)	97	90	8730
	BCOM II	76	180	13680

2014-15	BCOM (1st SEM)	79	90	7110
	BCOM (2ND SEM)	70	90	6300
	BCOM (3RD SEM)	84	90	7560
	BCOM (4th SEM)	79	90	7110
2015-16	BA (1ST SEM)	1	90	90
	BA (2ND SEM)	1	90	90
	BA (3RD SEM)	2	90	180
	BA (4TH SEM)	2	90	180
	BA (5TH SEM)	2	90	180
	BA (6TH SEM)	2	90	180
	BCOM (1ST SEM)	80	90	7200
	BCOM (2nd SEM)	73	90	6570
	BCOM (3RD SEM)	70	90	6300
	BCOM(4TH SEM)	68	90	6120
	BCOM(5TH SEM)	76	90	6840
	BCOM(6TH SEM)	76	90	6840
			योग	**125370**

8 **छात्रों से ₹2.63 लाख की अनाधिकृत/अधिक वसूली करना**

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शैक्षणिक शाखा की अधिसूचना संख्या:5-25/2013 हि0प्र0वि0 (शै) दिनांक 15-10-2014 के अनुसार {Students of the college/institution affiliated to Himachal Pradesh University} छात्रों से विश्वविद्यालय विकास शुल्क वसूली दर ₹200 वार्षिक प्रति छात्र सत्र 2014-15 से निर्धारित की गयी है परन्तु महाविद्यालय में विकास शुल्क ₹500 वार्षिक की दर से वसूलने के कारण निम्नानुसार छात्रों से ₹263400 की अनाधिकृत/अधिक वसूली की गयी जिसके बारे में मामला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय के ध्यान में अनुभाग अधिकारी के पत्र क्रमांक 57 दिनांक 14-3-2017 के द्वारा लाया गया। महाविद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय ने अपने पत्र क्रमांक EDN(C)GC-HAR(G-38) दिनांक 18-3-2017 के द्वारा सूचित किया है कि" हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के बजट अनुभाग के पत्र संख्या 2-3 /2007-HPU (BUILD) 1 & 2313 दिनांक 26-10-2016 के द्वारा सत्र 2015-16 से ₹500 विश्वविद्यालय विकास शुल्क प्रति छात्र वार्षिक दर तय की गयी है"। नि:संदेह विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 15-10-2014 को दो अधिसूचनाएं जारी की गयी हैं जिनकी संख्या: 5-25/2013 हि0प्र0वि0 (शै) है तथा यह अधिसूचनाएं **परिशिष्ट (ख) तथा (ग) पर** सलंग्न है। महाविद्यालय में कोई भी विषय (SELF FINANCING / PAID SEATS/NON SUBSIDIZED SCHEME) के अंतर्गत नहीं है तथा इन्हीं छात्रों से विश्वविद्यालय विकास शुल्क ₹500 वसूला जाना था तथा अन्य छात्रों से विश्वविद्यालय विकास शुल्क की वसूली दर ₹200 वार्षिक निर्धारित की गयी है। उपरोक्त के दृष्टिगत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय के द्वारा उपलब्ध करवाई गयी सूचना उचित नहीं है। अत: इस बारे सक्षम अधिकारी से आवश्यक मार्गदर्शन लिया जाए तथा इस बारे नियमानुसार अवगत करवाते हुए छात्रों से वसूली निर्धारित दर पर ही करनी सुनिश्चित की जाए।

सत्र	छात्र	वसूली	वसूली योग्य	अंतर अधिक

	संख्या	गयी दर	दर		वसूली
2014-15	438	500	200	300	131400
2015-16	439	500	200	300	131700
				योग	**263100**

9 पुस्तकालय प्रतिभूति निधि से ₹0.80 लाख का अनियमित क्रय:-

निदेशक उच्चतर शिक्षा हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या EDN-H(8) B (4) 28/08 BUDGET-LIB. दिनांक 26-3-2009 जो कि हिमाचल प्रदेश के सभी राजकीय महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रेषित किया गया है के अनुसार " THE LIBRARY SECURITY NOT CLAIMED WITHIN TWO YEARS OF ITS INEFFECTED MEMBERSHIP WILL AUTOMATICALLY STANDS LAPSE AND CAN BE USED AS CITED ABOVE " परन्तु महाविद्यालय द्वारा निम्नानुसार कालातीत हो चुकी पुस्तकालय प्रतिभूति निधि की सूचि तैयार किये बिना ₹80240 की मदों का क्रय पुस्तकालय प्रतिभूति निधि से किया गया जिसके बारे में नियमानुसार अवगत करवाया जाए।

बा.सं.	मास	विवरण	मात्रा	दर	राशि
1	12/2012	(i) Cushioned deluxe type chair	24	850	20400
1	8/2013	Library books	1	450	450
2	3/2014	(i) Steel Almirah	3	6000	18000
		(ii) Steel Almirah	1	3500	3500
3	3/2014	Library books	-	-	5320
1	9/2014	Library books	-	-	415
2	12/2014	Stationery articles	-	-	1545
3	12/2014	Library books	-	-	14,797
1	6/2015	Magazines	-	-	5444
2	10/2015	Library books	-	-	10,369
				कुल योग	**80,240**

10 महाविद्यालय में शारीरिक शिक्षा प्राध्यापक कार्यरत न होने के बाबजूद ₹1.73 लाख की खेल सामग्री का क्रय करना:-

महाविद्यालय में शारीरिक–शिक्षा अध्यापक कार्यरत नहीं है लेकिन महविद्यालय प्रशासन द्वारा खेल सामग्री क्रय करने पर `₹173142.90 का व्यय किया गया। अत: शारीरिक–शिक्षा अध्यापक कार्यरत न होने के बाबजूद भी अत्याधिक मात्रा में खेल सामग्री को क्रय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

बा.सं.	मास	फर्म का नाम एवं पता	सामान का विवरण	मात्रा	दर	मूल्य
5	3/2013	M/S City Sale, Shimla	(i) Multipurpose mat 2mx1m	6	4500	27000
			(ii) Javelin Nelco	4	1500	6000
			(iii) Starting Block Nelco	2	5000	10000
			(iv) Weight lifting set	1	45000	45000

(v) Synthetic weight	120	35	4200
(vi) Dumbbell rod	10	180	1800
(vii)Weight lifting rod 3 ft	2	450	900
(viii) Weight lifting rod 4 ft	2	550	1100
(ix) Badminton posts movable	1	13000	13000
(x) Discuss 2kg	4	2000	8000
(xi)Weight lifting bench	1	3500	3500
(xii) Shotput 8lb	4	3000	12000
(xiii) Volleyball posts iron	1	9000	9000
(xiv) Hockey stick	14	495	6930
(xv) Hockey shoes	14	383	5362
(xvi)Shinguard hockey	14	143	2002
(xvii) Hockey Bali Turf	12	50	600
(xviii) Playing kit Hockey	14	251	3514
(xix) Cricket Bat	2	1000	2000
(xxi) Badminton racket	2	1195	2290
(xxii) Weight lifting belt	2	350	700
		VAT5%	8444.90
		Total	**1,73,142.90**

11 अग्रिम ₹1.47 लाख का समायोजन न करना:-

महाविद्यालय द्वारा निम्नानुसार ₹242000 की अग्रिम राशि का भुगतान विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया गया जिसका समायोजन दिनांक 31-3-2016 तक नहीं किया गया। अत: इस राशि का समायोजन शीघ्र करके कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

निधि का नाम	बा.सं.	मास	कर्मचारी का नाम	उदेश्य	राशि
विश्वविद्यालय परीक्षा निधि	3	3/2013	श्री जयपाल सिंह, लिपिक	परीक्षा के लिए	55000
विश्वविद्यालय परीक्षा निधि	3	12/2013	श्री जयपाल सिंह, लिपिक	परीक्षा के लिए	12000
विश्वविद्यालय परीक्षा निधि	1	5/2014	श्री जयपाल सिंह, लिपिक	परीक्षा के लिए	80000
				योग	**147000**

12 निधियों से उधार दी गयी ₹0.19 लाख को वापिस न लौटाना:-

निम्नानुसार एक निधि से दूसरी निधि को उधार दी गयी राशि सम्बन्धित निधि में वापिस नहीं लौटाई गयी जिसे शीघ्र वापिस संबन्धित निधि में जमा किया जाए।

वोउचर संख्या	मास	निधि का नाम जिससे राशि उधार दी गयी	निधि का नाम जिसे राशि उधार दी गयी	राशि	टिप्पणी
1	7/2015	YOUTH WELFARE FUND	REGISTRATION FEES	8765	अभिलेख में वाउचर उपलब्ध नहीं है
1	7/2015	SPORTS FEES	REGISTRATION FEES	10000	अभिलेख में वाउचर उपलब्ध नहीं है
			योग	**18765**	

13 विश्वविद्यालय परीक्षा निधि से भुगतान किये गये अग्रिम के समायोजन करने के उपरान्त ₹1000 की वसूली न करना:-

वाउचर संख्या 1 मास 7/2015 के द्वारा श्री जयपाल सिंह लिपिक को विश्वविद्यालय परीक्षा निधि से ₹95000 अग्रिम का भुगतान किया गया तथा इस अग्रिम में से ₹94000 का समायोजन कर दिया गया परन्तु शेष बची ₹1000 वापिस विश्वविद्यालय परीक्षा निधि में जमा नहीं करवाई गयी। अत: उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके विश्वविद्यालय परीक्षा निधि में जमा करवाई जाए।

14 स्टॉक व स्टोर का भौतिक सत्यापन न करवाने बारेः—

जांच करने पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि 4/2012 से 3/2016 के दौरान स्टोर व स्टॉक का कमेटी गठित करने उपरान्त भौतिक सत्यापन नहीं करवाया गया है जबकि नियमानुसार प्रत्येक वितीय वर्ष के अन्त में स्टोर व स्टॉक का कमेटी गठित करने उपरान्त भौतिक सत्यापन करना अनिवार्य है। अतः उक्त नियम की अनुपालना न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व प्रत्येक वितीय वर्ष के अन्त में कमेटी गठित करने उपरान्त स्टोर व स्टॉक का भौतिक सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15 **लघु आपति विवरणी:-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी-2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

16 **निष्कर्ष:-** लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता / –
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620046

पृष्ठांकन संख्याः–फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)11(2)496 / 13–खण्ड–1–3936–3938 दिनाँक 30.06.2017शिमला–171009,

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 प्रचार्य, राजकीय महाविद्यालय हरिपुर गुलेर, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 उप सचिव (शिक्षा) हि0प्र0 सरकार शिमला–2

3 निदेशक, (उच्चत्तर शिक्षा) हि0प्र0 शिमला–1

हस्ता / –
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620046